

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला
(विधि शाखा)

आ दे श

वाद का प्रकार :- 41/2021-22 म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)


चिन्तामणी उरॉव -बनाम- सनिया उरॉव वगै०


अपीलार्थी श्री चिन्तामणी उरॉव पिता-नैका उरॉव ग्राम-सियांग पोस्ट-शिवनाथपुर वर्तमान पता मौजा-सकरौली, महुआडीपा थाना-सिसई जिला-गुमला के द्वारा उप समाहर्ता भूमि सुधार गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं०-29/2020-21 में दिनांक-08.03.2021 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अंधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय को निदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षों का विस्तृत सुनवाई कर विहित प्रकिया का पालन करते हुए तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद को Remand किया जाता है।

निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


23.07.22
उपायुक्त,
गुमला


23.07.22
उपायुक्त,
गुमला